

जिला कलेक्टर द्वारा प्राप्त हुए ज्ञान हेतु प्रपत्र
 विद्यालयों/माध्यमिक स्वारथ्य केंद्रों/शालाओं इत्यादि के लिए राजस्थान भू-राजस्व (संस्थाओं
 स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ
 अनुमति प्राप्त राजकीय कृषि भूमि का आवंटन) (नियम 1963)

1. प्रार्थी संस्था का नाम :- **वन विभाग**
2. आवंटन का प्रयोजन :- **वन छेड़**
 (पाठशाला होने की स्थिति में स्तर अंकित करें)
3. क्या इसी प्रयोजन विशेष के लिए-पूर्व में भूमि आवंटन हुआ है, यदि हां तो इसका विवरण :- **नहीं**
4. क्या पूर्व में आवंटित भूमि का समुचित उपयोग किया जा चुका है? - **NA**
5. प्रस्तावित प्रयोजन के लिए वर्तमान में क्या व्यवस्था की हुई है? -
6. विषयान्तर्गत 1963 के नियम 2 के तहत निर्धारित मानदण्ड। -
7. यदि विभाग के द्वारा कोई मानदण्ड निश्चित किये गये हैं, तो उसका विवरण :-
8. मानदण्डों से अधिक भूमि चाहे जाने पर अथवा कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं होने पर प्रस्तावित क्षेत्रफल का औचित्य। -
9. आवंटन हेतु चाही गई भूमि का विवरण :-
 - (1) तहसील का नाम **उमपुरवादी**
 - (2) ग्राम का नाम **मण्डापर**
 - (3) खसरा नम्बर **1641/1186**
 - (4) भूमि की किराई **गै.रु. चारागाह**
 - (5) खसरा नम्बर का कुल क्षेत्रफल **12.03 ई.**
 - (6) प्रस्तावित क्षेत्रफल **01.8498 ई.**
 - (7) जमाबन्दी खसरा व नक्से की प्रति संलग्न है
 - (8) प्रस्तावित भूमि कयाण्ड क्षेत्र की है अथवा नहीं **नहीं**
 (पटवारी की मौका रिपोर्ट संलग्न करें)
10. यदि प्रस्तावित भूमि चारागाह है तो :- **हां**
 - (अ) पशु संख्या **3201**
 - (ब) प्रस्तावित आवंटन के पश्चात् ग्राम में उपलब्ध चारागाह भूमि। **63.8802 ई.**
 - (स) पशुओं के अनुपात में चारागाह भूमि पर्याप्त है। **हां**
 - (द) यदि नहीं तो चारागाह की वैकल्पिक व्यवस्था। - **NA** -
11. भूमि नगर पालिका में स्थित है या ग्राम पंचायत में (नाम लिखें) **ग्राम पंचायत मण्डापर**
12. स्थानीय क्षेत्रों में स्थित होने पर नगर नियोजन विभाग की सहमती संलग्न करें। -
13. स्थानीय निकाय की निरापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रस्ताव की प्रति संलग्न करें। **पंचायत NO. 10 (खेडगाह)**
14. क्या प्रस्तावित प्रयोजन के लिए विभाग को पशुतिनिय/वित्तिय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है? **हां**
15. क्या नगर का मास्टर प्लान बन चुका है? -
16. यदि स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है तो भूमि पर निर्माण किस प्रकार होगा? -
17. यदि निर्माण पूर्व में हो चुका तो अंकित करें। -
18. पूर्व में सहमति प्राप्त नहीं करने का कारण। -
19. जिला कलेक्टर की राय-

प्रमाणित
 21/09/2000

105
उदयपुरवादी (मुन्मुन्)
 जिला कलेक्टर

वन विभाग

संस्था का गत 3 वर्ष का आय व्यय का विवरण

संस्था द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत एवं आर्थिक संसाधनों का विवरण

क्या उक्त संस्था को उक्त क्षेत्र में अनुभव है? उसका विवरण

संस्था को भू-आवंटन का प्रयोजन एवं संबंधित विभाग की अभिराप्ता/अभिमत एवं मान्यता

संस्था द्वारा नॉर्स से अधिक भूमि चाहे जाने पर उसका औचित्य

क्या संस्था को पूर्व में कभी इस जिले में भूमि आवंटित की गई थी? यदि हां तो उसका विवरण

परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को मिले? व क्या लाभ मिलेगा?

संस्था द्वारा चाही जा रही भूमि का विवरण- राजस्व ग्राम का नाम, खं.न., किस्म, क्षेत्रफल मय जमाबंदी व राजस्व नक्शों के

संस्था को आवंटन की जाने वाली भूमि की प्रस्तावित दर

आवेदक द्वारा चाही गई रियायत का विवरण

प्रस्तावित भूमि की कुल लागत

चाही गई भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर

क्या प्रशानगत भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचारधीन है या स्थगन आदेश तो नहीं?

क्या भू-उपयोग परिवर्तन होना है? भूमि की श्रेणी (ग्रामीण, नगरीय परिधीय भूमि, राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग से दूरी)

क्या भूमि पर निर्माण पूर्व से है?

भूमि पर अतिक्रमण हो तो उसका विवरण :-

क्या भूमि कमाण्ड क्षेत्र में है?

भूमि आवंटन के प्रस्ताव के साथ संलग्न रिकार्ड जमाबंदी-राजस्व नक्शा-तहसीलदार की रिपोर्ट व अन्य आवश्यक रिपोर्ट

क्या प्रस्तावित भूमि चारागाह है यदि हां? तो पंचायत का प्रस्ताव

1. ग्राम पंचायत की राय/अनापत्ति मय ग्राम संलग्न है या नहीं

2. ग्राम के पशु अनुपात में चारागाह भूमि पर्याप्त है या नहीं

3. ग्राम में पशुओं की संख्या

4. ग्राम में चारागाह हेतु उपलब्ध भूमि रकबा

5. क्या पूर्व में 4 है: से ज्यादा चारागाह भूमि आवंटित की गई है

23. यदि संबंधित भूमि नगरीय क्षेत्र या पैराफेरी क्षेत्र में है तो क्या निकाय की एन.ओ.सी. संलग्न है

24. भूमि नगरीय क्षेत्र में होने पर नगर नियोजक विभाग की राय

27. प्रस्तावित भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की तो नहीं है

28. क्या उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में कोई भूमि आरक्षित है अथवा नहीं?

29. प्रस्तावित भूमि पर भूमि अवाप्ति अथवा अन्य किसी कारण के आवंटन की कार्यवाही ज़रूरत है अथवा नहीं?

30. प्रस्तावित भूमि की मौके की रिपोर्ट किस प्रयोजन हेतु काम में ली जा रही है

31. प्रस्तावित भूमि विशेष आवंटन हेतु अधिसूचित तो नहीं है :-

32. प्रस्तावित रकबा किसी परियोजना क्षेत्र का नहीं है?

33. क्या प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित किये गये हैं?

34. किन रूल्स के तहत आवंटन प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं?

15/ आवंटन के बाबत आपका अभिमत।

मि.आवंटन की अभिराप्ता की जाती है/नहीं की जाती है।

महेश्वर
21-09-2020
पं.न.5144

सहस्रमुखी
उदयपुरवादी (मुन्मुन्)

हस्ताक्षर